

प्रेषक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर

सेवा मे.

कार्यालय अध्यक्ष
अम्बेडकरनगर ।

पत्रांक- मु.पि.अ./तम्बाकू नि.प्रकोष्ठ / 2019-20 16452

दिनांक - 03 / 04 / 2020

विषय - जलपद में कोरोना वाइरस (COVID-19) संक्रमण से व्यावर के लिए समर्पण करकारी एवं मिशनी परिषद्दारी वे यान-
मसाला एवं तम्बाकू उच्चोग को प्रतिवर्धित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019
- 20 / 8365 लखनऊ / दिनांक 18-03-2020 द्वारा अवगत कराया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कर्णना वाइरस
(COVID-19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्व व्यापी महामारी
को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं व्यावर हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ।

शूक्र प्रदेश में लगभग 29.4 % लोग धूमपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते हैं जो कि
वर्तमान में तम्बाकू एवं यान-मसाला का सेवन कर इधर-उधर धूकर से करोना वाइरस (COVID-19) के फैलने में सहायक
हो सकता है एवं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य विमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू
व यान मसाला का सेवन वही बाधा है ।

अतः उक्त छान में आपसे अपेक्षा वीजाती है कि आप उक्त विधियों को देखते हुए तम्बाकू COTPA-2003 के लियाँ
/ उपलियाँ एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं यान-मसाला खाकर यात्र-तड़ धूकर पर आवश्यक कार्यकारी सुनिश्चित करे ।

पत्रांक- मु.पि.अ./तम्बाकू नि.प्रकोष्ठ / 2019-20

प्रतिलिपि नियन्त्रित को सूचनाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को साठर सूचनाये प्रेषित ।
3. नियन्त्रिकारी महोदय, अम्बेडकरनगर ।
4. पुलिस अधीकार, अम्बेडकरनगर को इस अनुरोध के माध्य प्रेषित कि आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में
उपरिकारी कार्यवाही हेतु नियन्त्रित करे ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर ।
6. यु.पी.टी.एच.ए. लखनऊ ।

Fir
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर
तालिकामाल

.....
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अम्बेडकरनगर